कार्यालय रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां,राजस्थान,जयपुर

क्रमांक फा.48(13)सविरा/बैंक–2/2012 दिनांक 27/11/2017

परिपत्र

विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों तथा अन्य सहकारी संस्थाओं में सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित होने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा उन संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु लागू विभिन्न ऋण एवं अग्रिम योजनाओं के अंतर्गत इन संस्थाओं के अधिकारियो/कर्मचारियों की भांति ऋण एवं अग्रिम की सुविधाओं का लाभ लेने बाबत जारी विभागीय परिपत्र क्रमांक फा. 15(47)सविरा/बैंक–3/वि.सभा./2015 दिनांक 08.06.2015 को प्रत्याहरित करते हुए इस संबंध में निर्देशानुसार निम्न निर्देश जारी किये जाते है –

1. विभिन्न सहकारी बैंकों तथा अन्य सहकारी संस्थाओं में सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित विभागीय अधिकारी/कर्मचारी, उन संस्थाओं में अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु लागू विभिन्न ऋण एवं अग्रिम योजनाओं का लाभ नियमानुसार प्राप्त कर सकेगे लेकिन इसकी सूचना संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा खण्डीय रजिस्ट्रार /अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.स.वि.)/यूनिट कार्यालय को, जहां उनका सर्विस रिकॉर्ड संधारित है, देना अनिवार्य होगा। उक्त सूचना/दस्तावेजों को संस्थाओं से ऋण/अग्रिम सुविधा प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की निजी पत्रावली में संधारित किया जावें।
2. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृति से 3 माह पूर्व संबंधित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा कि किसी प्रकार की वित्तीय देनदारी उस संस्था में बकाया नहीं है तथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.स.वि.) कार्यालय अथवा उस कार्यालय जहाँ उनका सेवा रिकॉर्ड संधारित है और पेन्शन संबंधी कार्यवाही की जानी है, में जमा कराया जावें।

इस सम्बन्ध में पत्रावली संख्या फा 48(13)सविरा/बैंक–2/2012 पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ।

(सुरेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार(द्वितीय)

क्रमांक फा.48(13)सविरा/बैंक–2/2012 दिनांक 27/11/2017

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, सहकारिता विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर
4. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,जयपुर ।
5. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मोनेटरिंग), प्रधान कार्यालय, जयपुर ।
6. प्रबन्ध निदेशक ....केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. (समस्त)
7. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, प्रथम/द्वितीय/मा.स.वि.।
8. अतिरिक्त रजिस्ट्रार .... खण्ड (समस्त).
9. उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, समस्त
10. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(राजीव लोचन)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार(बैंकिंग)